TIER 2

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (USCIRF) अमेरिकी संघीय सरकार का एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना 1998 अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) द्वारा की गई थी जो विदेश में धार्मिक या आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर निगरानी रखता है। USCIRF विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करता है एवं राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है। USCIRF यू.एस. विदेश मंत्रालय से पृथक एक स्वतंत्र निकाय है। 2018 की वार्षिक रिपोर्ट कमिश्नर और पेशेवर स्टाफ द्वारा जमीनी तौर पर हुए इन उल्लंघनों को दस्तावेजीकृत करने के एक वर्ष के काम के समापन और अमेरिकी सरकार को स्वतंत्र नीतिगत अनुशंसाएं देने को दर्शाती है। 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक के मामले शामिल हैं, हालांकि कुछ मामलों में इस समयावधि के पहले और बाद घटी घटनाओं को भी शामिल किया गया है। USCIRF के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट यहां देखें, या USCIRF से सीधे 202-523-3240 पर संपर्क करें।

भारत

मुख्य निष्कर्ष: 2017 में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां निरंतर खराब हुई हैं। एक बहुसांस्कृतिक और बहुधर्मी समाज के रूप में भारत का इतिहास धर्म पर आधारित राष्ट्रीय पहचान की बढ़ती हुई एक अपवर्जनकारी अवधारणा द्वारा संकट में है। इस दौरान, हिंदू-राष्ट्रवादी समूहों ने गैर-हिंदुओं और हिंदू दलितों के खिलाफ हिंसा, धमकी और प्रताड़ना का सहारा लेकर भारत का "भगवाकरण" करने की कोशिश की है। सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के लोगों ने इस प्रयास में हिस्सा लिया है। लगभग एक-तिहाई राज्य सरकारों ने गैर-हिंदुओं के खिलाफ धर्म-परिवर्तन और/या गौहत्या का निषेध करने वाले कानून लागू कर दिए हैं और उन मुस्लिम और दलित लोगों पर हमले में सक्रिय रही हैं जिनके परिवार पीढ़ियों से दूध, चमड़े, या गौमांस के कारोबार में लगे हैं और धर्मांतरण के लिए ईसाईयों पर भीड़ द्वारा हमले कराने में सक्रिय रही हैं। 2017 में "गौरक्षा" हत्याओं में भीड़ के हाथों कम से कम 10 लोग मारे गए। "घर वापसी" आयोजनों के जरिए गैर-हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण की खबरें मिलीं और अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध विदेशों सेवित्तपोषित गैरसरकारी संगठनों के पंजीकरण नियमों का पक्षपातपूर्ण ढंग से उपयोग किया गया।

धार्मिक स्वतंत्रता की निरंतर बुरी होती परिस्थितियों ने मुख्य रूप से 10 राज्यों को प्रभावित किया है (उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान); शेष 19 राज्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अपेक्षाकृत खुले और मुक्त रहे हैं। केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ की हिंसा की निंदा करते हुए वक्तव्य दिए हैं लेकिन स्वयं उनके दल के सदस्यों के हिंदू चरमपंथी समूहों के साथ संबंध हैं और उनमें से अनेक ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में पक्षपातकारी भाषा का उपयोग किया है।

पिछले दो वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा में अत्यधिक बढ़ोतरी बताने वाले भारत सरकार के आंकड़ों के बावजूद, मोदी प्रशासन ने समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी सरकार ने पिछले समय में हुई बड़े पैमाने की सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने पर बहुत कम ध्यान दिया है, जोकि अक्सर मोदी के दल के नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण घटित हुई हैं। जहां गंभीर क्षमता एवं अन्य चुनौतियों ने इन एवं अन्य समस्याओं से निबटने की भारतीय संस्थाओं की क्षमता में बाधा डाली है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सक्रिय एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, अल्पसंख्यक मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने और असहिष्णुता का मुकाबला करने के लिए सरकार को अवसर प्रदान करते हैं। इन सरोकारों के आधार पर, 2018 में USCIRF ने पुनः भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों में शामिल होने या उन्हें बर्दाश्त करने के लिए टियर 2 पर रखा है जो अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून (IRFA) के अंतर्गत "विशेष सरोकारों वाला देश", या CPC, के रूप में मनोनयन के लिए "व्यवस्थित, निरंतर, जबरदस्त" मानक के कम से कम एक तत्व को पूरा करता है।

अमेरिकी सरकार को सिफारिशें

- भविष्य के रणनीतिक संवादों के फ्रेमवर्क के साथ संघीय और प्रांतीय, दोनों स्तरों पर भारत के साथ द्विपक्षीय संपर्कों में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सरोकार को शामिल करना;

- देश का दौरा करने के लिए USCIRF को अनुमति देने और धर्म एवं आस्था की स्वतंत्रता से जुड़े संयुक्त राष्ट्र (UN) के विशेष रिपोर्टरों को भारत आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालना;

- धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार विशेष अधिकारियों और एजेंसियों को अमेरिकी वीजा और अमेरिकी सुविधाओं से वंचित करने के लिए ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, Executive Order 13818, या अन्य प्रासंगिक तरीके लागू करना;

- धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकारों के मामलों पर अमेरिकी दूतावास द्वारा ध्यान दिए जाने को बढ़ाना, जिसमें उन क्षेत्रों में राजदूत और अन्य अधिकारियों द्वारा दौरा करना शामिल है जहां सांप्रदायिक व धार्मिक हिंसा हुई है और धार्मिक समुदायों, स्थानीय सरकारी नेताओं और पुलिस के साथ बैठक करना;

- भारत की केंद्र सरकार से राज्यों पर यह दबाव डालने की अपील करना कि वह धर्मांतरण विरोधी और गौहत्या विरोधी कानूनों में बदलाव लाएं ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के अनुकूल बनाने के लिए बदला या संशोधित किया जा सके; और

- धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधों से निबटने के लिए एक बहुवर्षीय रणनीति बनाने के लिए मोदी सरकार के साथ काम करना:
    - धार्मिक हिंसा के मामलों को रोकने और दंडित करने के लिए राज्य और केंद्रीय पुलिस के प्रशिक्षण और क्षमता को उन्नत करने हेतु गृह और कानून मंत्रालयों को समर्थन देना;
    - धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधों के लिए अभियोगों की दर बढ़ाने के लिए राज्य अभियोक्ताओं के साथ काम करने हेतु कानून मंत्रालय की सहायता करना; और
    - भारतीय सरकार से उन सरकारी अधिकारियों व महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने की अपील करना जिन्होंने सार्वजनिक भाषणों या लेखों के जरिए धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काई है, जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जुलाई 2014 में अनुशंसा की है; और

- विभिन्न आस्थाओं वाले लोगों के बीच परस्पर संवाद और सद्भाव पैदा करने के लिए भारत सरकार से अपील करना, जिसमें विभिन्न आस्था वाले लोगों के बीच संवाद और बड़े पैमाने की सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय को अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए सशक्त करना शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

भारत
पूरा नाम: भारत गणराज्य
सरकार: संघीय संसदीय गणराज्य
जनसंख्या: 1,210,193,422
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धर्म/विश्वास: धर्म-निरपेक्ष संविधान
धार्मिक जनांकिकी*:
79.80% हिंदू
14.2% मुस्लिम
2.3% ईसाई
1.7% सिख
0.7% बौद्ध
0.4% जैन
0.7% अन्य (पारसी, यहूदी, बहाई, एवं जनजातीय धर्मों सहित)
0.2% धर्म निर्दिष्ट नहीं
* अनुमान भारत की 2011 की जनगणना से संकलित (15 वीं जनगणना)

एक सक्रिय और स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र की एक जोशीली और निर्बाध संसदीय व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रतिष्ठित स्थान के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दक्षिण एशिया का अग्रणी देश है। भारत के पास एक संघीय संवैधानिक व्यवस्था है जो केंद्र सरकार की कुछ शक्तियों पर अंकुश लगाती है और स्थानीय जरूरतों के लिए उपयुक्त नीतियां और निर्णय लागू करने के लिए राज्य को सत्ता प्रदान करती है।

पिछले दशक के दौरान गैर-हिंदुओं या दलित हिंदुओं को अलग करने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे हिंदू-राष्ट्रवादी समूहों द्वारा एक बहुआयामी अभियान के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब हुई है। इस अभियान के पीड़ितों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और

जैनों के साथ ही दलित हिंदू भी शामिल हैं, जो हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आते हैं। ये समूह हिंसा या धमकी के कार्यों, राजनीतिक सत्ता छिनने से लेकर अधिकारों से वंचित किए जाने और "गैर" होने की भावनाओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

2017 में, भारतीय सरकार की आपराधिक आंकड़े एकत्रित करने वाली एजेंसी, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि 2016 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे अलावा, इस अवधि के तुरंत बाद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने संसद को बताया कि 2017 के दौरान (पिछले वर्ष की तुलना में जब 703 घटनाओं में 86 लोग मारे गए और 2,321 घायल हुए) 822 सांप्रदायिक टकरावों में 111 लोग मारे गए और 2,384 घायल हुए। हालांकि, धार्मिक अल्पसंख्यक केवल सुरक्षा को लेकर ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी के बावजूद व्यवस्थापिका में अपने घटते प्रतिनिधित्व से भी परेशान हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जनसंख्या 19 प्रतिशत है लेकिन 2017 में विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व गिरकर 6 प्रतिशत रह गया है, जो मुस्लिमों के प्रति भेदभाव का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू-राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भारत के राज्यों में मंत्रियों के रूप में काम कर रहे 1,400 सदस्यों में से केवल चार मुस्लिम थे।

भारत में विभिन्न राष्ट्रवादी समूहों ने हिंदुत्व, या "हिंदूवाद" की विचारधारा अपनाई है, जिसके तीन स्तंभ हैं – एक राष्ट्र, एक नस्ल और एक संस्कृति – और इसने हिंदुओं के अधिकारों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर एक अपवर्जनकारी राष्ट्रीय इतिहास का आधार तैयार किया है। इन समूहों के विचार और गतिविधियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। फिर भी, हिंदुत्व के आंदोलन के भीतर नरम और उग्र दोनों ताकतें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि मुस्लिम जनसंख्या 1950 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 14 प्रतिशत हो गई, जो उनके विचार से मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध उनके कार्यों को जरूरी बना देता है। अधिक उग्र हिंदुत्व समूहों के लिए, इसका अर्थ निष्कासन, हत्या, या सभी गैर-हिंदुओं का धर्मांतरण है, जबकि नरम ताकतें केवल राज्य की नीति-निर्माण की प्रक्रिया में हिंदू अवधारणाओं का अधिक प्रभाव चाहती हैं। भाजपा के सदस्यों के हिंदू चरमपंथी समूहों के साथ संबंध हैं और इनमें से अनेक ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण भाषा का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, 2018 के शुरू में रिपोर्ट की गई इस अवधि के तुरंत बाद, भाजपा सांसद विनय कटियार ने

कहा, "मुसलमानों को (जमीन का) उनका हिस्सा दे दिया गया है। उन्हें या तो बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाना चाहिए।"

इन समूहों का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, RSS और अन्य चरमपंथी हिंदुवादी समूहों ने धार्मिक विद्यालयों का क्षेत्र और आकार बढ़ाया है – जो अपनी विद्या भारती व्यवस्था में लगभग चालीस लाख विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा पढ़ाते हैं और जिन्होंने पब्लिक स्कूलों में भी अपनी स्वयं की पुस्तकें वितरित करने की कोशिश की हैं। उनकी युवा वाहिनियों ने अपने धर्म-निरपेक्ष या गैर-हिंदू सहपाठियों को चुप करने के लिए धमकी और हिंसा का सहारा लिया है और उनके दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले कार्यक्रमों को बंद कराया है। चरमपंथी हिंदुत्व समूहों ने 2017 में प्रदर्शित फिल्म पद्मावत में एक हिंदू रानी के एक मुस्लिम राजा के साथ रूमानी दिवास्पप्न के दृश्यों के विरोध में सिनेमा हॉलों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग लगाई। फिल्म के निर्देशक ने ऐसे किसी भी दृश्य के होने से इन्कार करते हुए इन आरोपों को खारिज किया है। हिंदुत्व समूहों द्वारा भड़काई हुई जनता की प्रतिक्रिया के कारण राज्य विधानसभा के कुछ सदस्यों और न्यायालयों को कुछ समय के लिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगानी पड़ी। हिंदुत्व-राष्ट्रवादियों ने भारतीय इतिहास में गैर-हिंदुओं के प्रभाव को मिटाने या कम कर आंकने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार ने 2017 की "सांस्कृतिक धरोहर" की अपनी सूची से ताजमहल को हटा दिया है। भाजपा के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया है और एक हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में इसका पुनःनामकरण किया जाना चाहिए; हालांकि न्यायालय ने इतिहास के विशेषज्ञों के साक्ष्यों के आधार पर इन दावों को खारिज कर दिया।

हिंदुत्व समूहों की चुनौतियों के अलावा, संस्थागत चुनौतियां धार्मिक स्वतंत्रता सहित सभी मुद्दों की प्रगति को प्रभावित करती हैं। भारत की राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों को एक ऐसी समस्या से भी जूझना पड़ता है जिसकी अनदेखी की गई है। उदाहरण के लिए, पुलिस और न्यायालय बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों और अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और वित्तपोषण के बहुकालिक भार से दबे हुए हैं। इसके अलावा, आय में बढ़ती असमानता ने और अधिक भारतीयों को गरीबी में धकेला है और कुछ विशेष धार्मिक व सामाजिक अल्पसंख्यकों के लिए असमानता की ऐतिहासिक परिस्थितियों को और अधिक खराब किया है।

धार्मिक स्वतंत्रता की परिस्थितियां 2017

सकारात्मक परिवर्तन: 2017 में धार्मिक स्वतंत्रता की परिस्थितियों में अवनति के बावजूद, कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। कुछ सरकारी निकायों ने देश में बढ़ रही असहिष्णुता से लड़ने के लिए प्रयास किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सक्रिय और स्वतंत्र न्यायपालिका ने इस वर्ष ऐसे अनेक मामले निबटाए हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उदाहरणार्थ, *हदिया* मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि एक हिंदू स्त्री अपनी इच्छा से एक मुस्लिम पुरुष से विवाह करने और उसका धर्म अपनाने को सहमत होती है तो उसकी वैधता जांचने में न्याय व्यवस्था की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से हिंदू प्रार्थना गाने के लिए दबाव डाला जा सकता है, ताकि भारत में राज्य धर्म-निरपेक्ष बना रह सके। न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 28 (1) का हवाला दिया, जो क्रमशः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी और राज्य द्वारा वित्त-पोषित विद्यालयों में धार्मिक निर्देशों का निषेध करते हैं।

इसके अतिरिक्त, दो सरकारी निकायों – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय – ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया है और मुस्लिमों, ईसाईयों, सिखों, बौद्धों सहित, धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा झेले जा रहे खतरे पर ध्यान देने के लिए प्रयास किए हैं। 2018 के लिए, केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी पिछले अनेक वर्षों से ऐसे मामले दस्तावेजीकृत करने और सरकार को रिपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है जिनमें राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने में सार्वजनिक रूप से हिस्सा लिया है।

धर्मांतरण-विरोधी कानून और जबरन धर्मांतरण: धर्मांतरण-विरोधी कानून ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित छह राज्यों में पारित हुए हैं। ये कानून बल, प्रलोभन, फुसलाने, या धोखे से धर्मांतरण का निषेध करते हैं, लेकिन अनेक मामलों में इन्हें धर्मांतरण के काम में लगे हुए मुस्लिमों और ईसाईयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया है। कुछ राज्यों में, धर्मांतरण में लगे हुए किसी भी व्यक्ति को स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा। 2017 में, धार्मिक

अल्पसंख्यक नेताओं और उनके अनुयायियों को इन कानूनों के कारण गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। उदाहरणार्थ, एक कैथोलिक नन को चार आदिवासी स्त्रियों के साथ, फुसलाकर धर्मांतरण करवाने के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अप्रेल 2017 में, तीन ईसाईयों को खंडवा जिले में धर्मांतरण करवाने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2017 में, ईसाईयों ने टेंपल ऑफ गॉड चर्च के पास्टर, सुल्तान मसीह की धर्मांतरण करवाने के संदेह के आधार पर सार्वजनिक रूप से हत्या के बाद लुधियाना, पंजाब में विरोध प्रदर्शन किया।

2017 में, मीडिया ने उन भड़काऊ आरोपों पर एक बड़ा कवरेज किया कि भारत में मुस्लिम चरमपंथी संगठन "लव जिहाद", या हिंदू स्त्रियों को मुस्लिम पुरुषों से जबरन विवाह करने और धर्मांतरण करवाने का एक संगठित अभियान चला रहे हैं। मीडिया कवरेज ने लोगों को भयावह हमले करने को उकसाया, जिसमें शंभूलाल रैगर के वायरल वीडियो वाली घटना भी शामिल है। दिसंबर 2017 में, रैगर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने एक मुस्लिम दिहाड़ी मजदूर अफराजुल खान को बेरहमी से मार डाला और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। रैगर ने मुस्लिमों को धमकाते हुए वीडियो में कहा कि हिंदू स्त्रियों के धर्मांतरण में शामिल सभी लोगों का यही हश्र होगा। खान के परिवार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत की क्योंकि उनको डर था कि राजस्थान के न्यायालय में रैगर पर उचित ढंग से मुकदमा नहीं चल पाएगा और बिना समुचित पुलिस सुरक्षा के उन्हें धमकी का सामना करना पड़ेगा।

जहां हिंदू धर्म से धर्मांतरण करने पर अत्यधिक छानबीन की जा रही है, वहीं कुछ हिंदू-राष्ट्रवादी समूह घर वापसी आयोजनों के जरिए गैर-हिंदुओं को हिंदू धर्म में धर्मांतरित कर रहे हैं, जिनमें से कुछ मामलों में जबरदस्ती या दबाव की बात भी सामने आई है। ये आयोजन इस विचार पर आधारित हैं कि भारत में जन्मे सभी व्यक्ति हिंदू हैं, चाहे उनके समुदाय अनेक पीढ़ियों से अन्य आस्थाओं का पालन कर रहे हों। इस तरह के आयोजनों की खबरें 2017 में लगातार आ रही हैं, हालांकि उनकी संख्या और प्रकृति के बारे में सटीकता से कुछ नहीं कहा जा सकता।

गौहत्या कानून और निगरानी समूहः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, गौहत्या निषिद्ध है। इसके अनुसार, 29 में से 21 राज्यों ने विभिन्न प्रकार से गौहत्या को निषिद्ध घोषित किया है, जिसमें छह माह से लेकर 14 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। 2005 से, सर्वोच्च न्यायालय ने गौहत्या कानूनों की

संवैधानिकता को स्वीकार किया है। 2017 में, अनेक राज्य सरकारों ने गौहत्या के लिए सजा को बढ़ाने हेतु अपने कानूनों में परिवर्तन किया है।

जहां भारत में गौहत्या पर प्रतिबंधों का एक लंबा इतिहास है, वहीं "गौरक्षक" हत्यारी भीड़ एक नई परिघटना है और ऐसे समूहों ने 2017 में कम से कम 10 लोगों की हत्या की है। संदिग्ध गौ हत्यारे को सार्वजनिक रूप से पीटकर या हत्या कर, न केवल यह भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है, बल्कि अक्सर वे दुग्ध उद्योग में लगे उन लोगों को भी परेशान करते और धमकाते हैं जिनके गौहत्या से कोई संबंध नहीं हैं। राजस्थान के अलवर में हुई एक घटना में भीड़ ने एक दुग्ध उत्पादक किसान पहलू खान को मार डाला। खान ने मृत्युशय्या पर लेटे हुए उसकी पिटाई के लिए जिम्मेदार छह लोगों की पहचान करते हुए पुलिस को बयान दिया। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सभी छह लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले खारिज कर दिए गए और किसी पर भी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया।

NGO पंजीकरण: जब से 2010 में 1976 के फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) को नवीनीकृत किया गया है, तब से अनेक अंतरराष्ट्रीय मिशनरी और मानवाधिकार संगठनों को भारत में कार्य करने से रोक दिया गया है। कानून के संशोधन के अंतर्गत, सरकार अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषित ऐसे किसी भी NGO को बंद कर सकती है जो "राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों" में लगे हैं। सरकार ने 2014 से हजारों NGO को बंद करने में इस धारा का उपयोग किया है; कुछ रिपोर्टों के अनुसार 10,000 से 33,000 NGO को कार्य करने के लिए लाइसेंस देने या कार्य जारी रखने से इन्कार कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर NGO मोदी सरकार के राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन इनमें गैर-हिंदू धर्म वाले संगठन भी शामिल थे, विशेषकर ईसाई चर्च और मिशनरी।

कुछ हिंदू चरमपंथी दलितों के धर्मांतरण में ईसाई मिशनरियों की सामर्थ्य को हिंदू जनता के लिए विशेष खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत में लगभग 20 करोड़ दलित हैं। अनेक पर्यवेक्षकों ने इस बात पर जोर दिया है कि 2017 में 1,50,000 भारतीय बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले सबसे बड़े धार्मिक-संगठन, कंपैशन इंटरनेशनल को बंद करने के पीछे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का भय ही था। जहां कंपैशन इंटरनेशनल भविष्य में भारत में अपने कार्य फिर से शुरू करने की आशा रखता है, वहीं FCRA द्वारा ईसाई समूहों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण तरीके को ध्यान में रखते हुए यह दूर की कौड़ी साबित हो सकता है ।

इसके अलावा, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और अक्सर, हाल ही में बंद किए गए NGO उनको लाइसेंस प्रदान करने से इन्कार करने का कारण नहीं जान सकते।

बड़े-पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के लिए निरंतर माफी: भारत में बड़े-पैमाने की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं जो वर्षों तक अनसुलझी रही हैं। 1992 में, उत्तर प्रदेश में हिंदू कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद के कुछ महीनों में दंगों के दौरान लगभग 2,000 लोगों की मौत हुई। 2002 में, गुजरात में तीन दिन तक चली हिंसा में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए; अन्य संगठनों और विद्वानों ने यह संख्या 2,000 बताई है। 2007 में ओडिशा में, ईसाईयों ने अनेक महीने अशांति झेली जिसमें 100 लोग मारे गए और 300 चर्च व 6,000 घर नष्ट कर दिए गए। 2013 में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें 42 मुस्लिम और 20 हिंदू मारे गए, साथ ही 50,000 लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा।

हालांकि, हर घटना के अपने लक्षण और कारण हैं, लेकिन उनमें समानताएं भी हैं। अप्रभावी अभियोजन के कारण हत्याओं के लिए जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। इसके अलावा, पीड़ितों ने शिकायत की है कि सरकार ने नष्ट हुए मोहल्लों, मकानों और पूजा स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान नहीं की है। अंतिमतः, सांप्रदायिक हिंसा की ये घटनाएं अक्सर राजनीतिज्ञों या धार्मिक नेताओं द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा उकसाने से घटित हुई हैं। यदि मोदी सरकार और राज्य सरकारें हिंसा और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में असफल रहती हैं, तो बड़े पैमाने की हिंसक घटनाओं के पुनः होने की संभावना है।

अमेरिकी नीति

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले कई दशकों से संबंधों को प्रगाढ़ बनाया है और अब भारत को 'रणनीतिक' और 'नैसर्गिक' सहयोगी के रूप में वर्णित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने ऊर्जा, शिक्षा, आतंकवाद के बढ़ते खतरे, लोकतंत्र के साझा मूल्यों और कानून के शासन को ध्यान में रखकर साझा चिंताओं के आधार पर रणनीतिक संबंध बनाए हैं। 2016 में, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की, जहां उन्होंने

तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की और अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2017 में कहा कि "[अमेरिकी सरकार की] दक्षिण एशियाई रणनीति का एक और नाजुक हिस्सा . . . भारत के साथ इसके रणनीतिक संबंधों को और आगे बढ़ाना है [जिसने] अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं।" ट्रंप प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अमेरिकी-दक्षिण एशिया संबंधों में केंद्रीय साझीदार है। दोनों देशों के संबंधों में तब और घनिष्ठता आई जब विदेश मंत्री रेक्स टिलरटन अक्टूबर 2017 में और नवंबर में राष्ट्रपति की विशेष सलाहकार इवांका ट्रंप भारत में मोदी सरकार की ग्लोबल एंटरप्रिन्योरशिप समिट में हिस्सा लेने भारत आए। व्यापार और आर्थिक संबंधों पर अधिक ध्यान दिया गया है।

2009 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संवाद शुरू किया जिसके माध्यम से दोनों देशों ने आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और पर्यावरण जैसे द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी वार्ता में शामिल नहीं किया गया है। 2017 में, सीनेटर जॉन केनेडी (R-LA), रॉय ब्लंट (R-MO), माइक क्रेपो (R-ID), जेम्स लेंकफोर्ड (R-OK) और एमी क्लोबचार (D-MN) ने जून 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थित खराब होने का मुद्दा उनके सामने उठाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र लिखा। हालांकि, यह पता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। नवंबर 2017 में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) समिट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त सत्र में, "भारत में अनेक गुटों को एक साथ लाने के लिए" राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी सरकार को बधाई दी।

2001 से, USCIRF ने जमीनी तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता की परिस्थितयों का मूल्यांकन करने के लिए भारत की यात्रा का प्रयास किया। हालांकि, 2001, 2009 और 2016 में – तीन भिन्न अवसरों पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा समर्थित अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार ने USCIRF प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने से इन्कार कर दिया।

कमिश्नर तेंजिन दोरजी का अतिरिक्त वक्तव्य:

भारत एक बहुधर्मी, बहु-जातीय, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज वाला एक धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जैसे अनेक धर्म यहां पैदा हुए और इस्लाम, ईसाई और बहावी सहित अनेक अन्य धर्म भी यहां सह-अस्तित्व के साथ रहते हैं। प्राचीन समय से, भारत के पास अहिंसा, सम्मान की एक अनुकरणीय परंपरा रही है और चार्वाक सहित विभिन्न विश्वासों और सिद्धांतों के लिए सहिष्णुता रही है। प्राचीन भारत ने परस्पर सम्मान, सराहना और सीखने पर आधारित विभिन्न धर्मों के बीच वाद-विवाद और संवाद होते देखा है। दुर्भाग्यवश, यह अनुकरणीय परंपरा अन्य कारकों के साथ धार्मिक फिरकापरस्ती और धर्म व राजनीति की मिलावट के कारण क्षरित हुई है। भारत एक बहु-विश्वासों और दर्शनों वाली जमीन है और इसे अपने प्राचीन गौरव और प्रतिष्ठा को बनाकर रखना चाहिए। पिछले दिसंबर में, भारत में स्वैच्छिक अध्यापन के दौरान मैंने बंगलुरू और टुमकूर में हिज होलिनस दलाई लामा के सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हिज होलिनस ने प्राचीन परंपरा के अंतरविश्वासी सम्मान और सराहना जैसे धर्म-निरपेक्ष मूल्यों की खुलकर प्रशंसा की और देश व दुनिया की भलाई के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हें पुनर्जीवित करने की वकालत की। कुल मिलाकर, मैं यह विश्वास करता हूं कि भारत ने सदियों से विभिन्न धर्मों और विश्वासों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व रखा है। हालांकि, भारत को धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने और धर्म-निरपेक्ष भारत को जिंदा रखने के लिए धर्म के साथ संयुक्त पहचान की राजनीति से व्यवस्थित ढंग से निबटना चाहिए। सदियों पुराने धर्म-निरपेक्ष मूल्यों पर जोर देते हुए, भारत दुनिया को अंतरविश्वासी अंतर्विरोधों को रूपांतरित करने के साथ ही अंतरविश्वासी आदान-प्रदान, शांति, तालमेल, सम्मान और समझ को बढ़ाने में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।